निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
109/22	13.05.22	11.07.24

1. रेखराम पुत्र पतोल जाति मीना निवासी मीना बडौदा तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — प्रार्थी

बनाम

1. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
2. प्रेमसिंह पुत्र पतोल
3. बनेसिंह पुत्र पतोल
4. भीमसिंह पुत्र पतोल
5. रामधनी पत्नी पतोल
6. शिवराम पुत्र पतोल
7. चौथी पुत्र अर्जुन
8. प्रहलाद पुत्र अर्जुन
9. भौरया पुत्र अर्जुन
10. रूपसिंह पुत्र अर्जुन
11. हरि पुत्र भम्बल
12. हरबाई पुत्री भम्बल

जातियान मीना निवासीगण मीना बडौदा तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 258 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर की भूमि हाल खसरा नंबर 1177 रकबा 0.27 है0, 1291 रकबा 0.35 है0, 727 रकबा 0.10 है0, 729 रकबा 0.14 है0, 737 रकबा 0.09 है0 की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 के नाम दर्ज है तथा इसी अनुसार पक्षकारान भूमि पर काबिज काश्त है तथा खाता संख्या 613 की भूमि खसरा नंबर 730 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन चाह की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 12 के नाम दर्ज है। उक्त दोनों खाता संख्याओं में प्रार्थी का नाम सहवन से टाइपिंग की गलती के कारण रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम रेखराम है। इसलिए वह अपने नाम की रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर लेखराज के स्थान पर रेखराम दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का नाम अन्य समस्त सरकारी कागजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक सभी में रेखराम है जो सही है परन्तु रेवेन्यू रिकॉर्ड में टाइपिंग की गलती से रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज हो गया है। जिसको न्यायहित में दुरूस्ती होना आवश्यक है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 615 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर के बाबत् श्रीमान के समक्ष पूर्व में चले आ रहे खातेदारी के गलत इन्द्राज प्रार्थी के नाम लेखराज के स्थान पर रेखराम दर्ज कराने बाबत् एक प्रकरण अंतर्गत धारा 136

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

कार्यालय तहसीलदार (भ-अभि...

ांक /...

एलआर एक्ट रेखराम बनाम लेण्ड होल्डर पेश किया था जिसका मुकदमा नंबर 29/2020 था जिसका निर्णय श्रीमान् के यहां से दिनांक 15.01.2021 को हो चुका है जिसमें प्रार्थी का नाम लेखराज के स्थान पर रेखराम दर्ज करने के आदेश श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिये गये जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल भी हो चुका है परंतु उस समय प्रार्थी की जानकारी में यह तथ्य नहीं था कि प्रार्थी का नाम खाता संख्या 258 व खाता संख्या 613 ग्राम मीना बडौदा में भी टाइपिंग की गलती से रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज हो गया है। इसलिए पूर्व में इसकी दुरूस्ती नहीं करवायी जा सकी। उक्त खातों में हो रहे प्रार्थी के प्रार्थी के नाम के गलत इन्द्राज की दुरूस्ती न्यायहित में होना आवश्यक है। पूर्व में प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं थी परंतु प्रार्थी को जब के0सी0सी0 बनवाने दिनांक 9.5.2022 को बैंक गया तो बैंक मैनेजर ने कागजात देखकर बताया कि खाता संख्या 615 की भूमि में तुम्हारा नाम रेखराम सही दर्ज है परंतु खाता संख्या 258 व 613 की भूमि में तुम्हारा नाम लेखराज दर्ज है इसलिए पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम सही करवाकर लाओ, उसके पश्चात् ही लोन की पत्रावली बनेगी, तब प्रार्थी को सर्वप्रथम यह जानकारी में आया कि उसका नाम उक्त दोनों खाता संख्याओं में टाइपिंग की गलती के कारण रेखराम के स्थान पर लेखराज दर्ज हो गया। इसलिए दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा अप्रार्थी लैण्डहोल्डर व तहसीलदार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 258 व खाता संख्या 613 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम लेखराज पुत्र पतोल के स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2073–2076 खाता सं. 615, प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र की फोटोप्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार वजीरपुर के अलावा और कोई उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 541 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मीना बडौदा पटवार मण्डल मीना बडौदा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 258 व 613 में प्रार्थी का नाम लेखराज पुत्र पतोल दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंकतालिका इत्यादि में रेखराम पुत्र पतोल दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से रेखराम के बजाय लेखराज दर्ज हो गया। खाता संख्या 615 में प्रकरण अंतर्गत धारा 136 रेखराम बनाम लैण्ड होल्डर मुकदमा नंबर 29/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 की पालना में जरिये नामांतकरण संख्या 1250 दिनांक 28.12.2021 से लेखराज के स्थान पर रेखराम शुद्ध किया जा चुका है। जांच के दौरान पाया गया कि रेखराम व लेखराज एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम ग्राम मीना बडौदा पटवार मण्डल मीना बडौदा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 258 व 613 में राजस्व रिकॉर्ड में लेखराज के बजाय रेखराम शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 258 व खाता संख्या 613 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम लेखराज पुत्र पतोल के स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मीना बडौदा की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 258 व खाता संख्या 613 ग्राम मीना बडौदा तहसील वजीरपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम लेखराज पुत्र पतोल के स्थान पर रेखराम पुत्र पतोल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर